

1	विभाग	ग्राम्य विकास
2	योजना का नाम –	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना।
3	योजना संक्षिप्त टिप्पणी–	<ul style="list-style-type: none"> ● ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे प्रत्येक परिवार को ,एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारण्टी युक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए इच्छुक है। ● प्रत्येक कार्य दिवस के लिए प्रत्येक मजदूर को दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से 175 रुपये की मजदूरी का भुगतान किया जायेगा। ● मजदूरी करने वाले मजदूर का नजदीक के बैंक मे बचत खाता खोला जायेगा तथा उनके खातों को आधार से लिंक कराया जायेगा। ● श्रमिक जिस ग्राम पंचायत मे परिवार का जॉब कार्ड बनाया जायेगा, वह परिवार उसी ग्राम पंचायत का मूल निवासी होगा। ● मजदूरों को उनकी मांग के अनुसार ग्राम पंचायत में या मजदूर के निवास स्थान से 5 कि०मी० की परिधि सीमा मे कार्य दिया जायेगा। ● मजदूरी का भुगतान सप्ताह मे एक बार/ अधिकतम 15 दिन के अन्दर किया जायेगा। ● जॉब कार्ड बनवाने के लिए अपने ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/ ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी से सम्पर्क करना होगा। ● श्रमिको को रोजगार का मांग पत्र ग्राम प्रधान या पंचायत सचिव को प्राप्त कराना होगा।
4	पात्रता की अर्हता–	आयु 18 वर्ष से कम ना हो।
5	आवेदन की प्रक्रिया–	बैंक पासबुक व आधार कार्ड की कॉपी के साथ ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी से सम्पर्क।
6	लिंक वेबसाईट	http://rd.up.nic.in/
7.	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी अथवा जनपद के परियोजना निदेशक डी०आर०डी०ए० से सम्पर्क किया जा सकता है ।